**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3692**

**सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)**

**देश के श्रम कानून**

**3692. श्री आदित्य यादव:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के श्रम कानून कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी, श्रमिक संबंधी अनुचित व्यवहार, श्रमिक संघों का प्रमाणन, श्रम-प्रबंधन संबंध, सामान्य अवकाश, कार्य घंटों, अनुचित बर्खास्तगी, न्यूनतम मजदूरी और छंटनी की प्रक्रिया जैसे मुद्दों का समाधान करने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय 33 केन्द्रीय श्रम कानून प्रशासित कर रहा है, जिनकी सूची अनुबंध में है। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित उपबंध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा प्रशासित किए जाते हैं; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सामूहिक सौदेबाजी, श्रमिक संबंधी अनुचित व्यवहार, श्रम-प्रबंधन, अनुचित बर्खास्तगी, छंटनी की प्रक्रिया के उपबंध किए गए हैं; व्यावसाय संघ अधिनियम, 1926 में ट्रेड यूनियन का प्रमाणन किया जाता है; अवकाश, वार्षिक अवकाश आदि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 द्वारा प्रशासित किए जाते हैं; स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य घंटे कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 आदि के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि महिलाएं अधिकतम 26 सप्ताह के प्रसूति लाभ आदि की हकदार हैं।

*

*****

**अनुबंध**

**'देश में श्रम कानून' के संबंध में श्री आदित्य यादव, माननीय संसद सदस्य द्‌वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3692 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

**33 केंद्रीय श्रम कानूनों की सूची**

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
5. कारखाना अधिनियम, 1948
6. बागान श्रम अधिनियम, 1951
7. खान अधिनियम, 1952
8. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
9. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
10. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
11. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970.
12. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम,1976
13. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979
14. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम,1981
15. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम,1986
16. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955
17. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम,1958
18. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
19. औद्‌योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946

20. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

21. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

22. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

23. उपदान संदाय अधिनियम, 1972

24. असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

25. सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

26. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

27. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

28. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

29. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

30. बालकऔर कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

31. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

32. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टररखने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण) अधिनियम, 1988

33. भविष्य निधि अधिनियम, 1925

*******